राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./5885/2004/उदयपुर

1– मु0 कचरी
2– मु0 झुमकी
3– मु0 राजुबाई
4– मु0 राधीबाई

पुत्रियां दीपला, जाति मीणा, निवासी लोदिया, तह0 धरियावद, जिला उदयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– नगजी पुत्र जीवला, जाति मीणा, निवासी लोदिया, तह0 धरियावद, जिला उदयपुर।
2– कालिया पुत्र भगवानिया, जाति मीणा, निवासी लोदिया, तह0 धरियावद, जिला उदयपुर।
3– रामला पुत्र दीपला, जाति मीणा, निवासी लोदिया, तह0 धरियावद, जिला उदयपुर।
4– परथा पुत्र दीपला, जाति मीणा, निवासी लोदिया, तह0 धरियावद, जिला उदयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ

श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री अजीत लोढा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अशोक नाथ योगी, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 23.09.2019

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा अपील संख्या 109/2002 शीर्षक 'मु0 कचरी बनाम नगजी वगैरा' में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02–08–2004 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलार्थीगण ने एक राजस्व वाद प्रतिवादी/वर्तमान रैस्पो0 के विरुद्ध अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत न्यायालय उप जिलाधीश, वल्लभनगर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि मौजा लोदिया तहसील धरियावद स्थित आराजी खसरा नम्बर 378, 384 किता 2 कुल रकबा 6.43 है0 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है जो हमारे पिता दीपला के खातेदारी की रही है और हमारे दादा वगता जी के समय से चली आ रही है, जिसमें प्रत्येक

का 1/6, 1/6 हक हिस्सा निहित है। उक्त आराजी से विपक्षी संख्या 1 व 2 का किसी प्रकार का सरोकार नहीं है किन्तु उनके द्वारा उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान किया जा रहा है। अतः दावा वादी डिक्री कर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधार नहीं करें और न दीगर से करावें। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जबाबदावा मय प्रतिवाद प्रस्तुत किया कि दीपला द्वारा दिनांक 6-6-1985 को वादग्रस्त आराजी को रुपये 6,500/- में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विक्रय कर कब्जा करा दिया था और अब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का आराजी पर कब्जा काश्त खातेदारी है। अतः काउटर क्लेम धारा 188 के तहत पेश है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करें। वादीपक्ष की ओर से प्रतिवाद का जबाब प्रस्तुत किया कि वादीगण प्रश्नगत आराजी के खातेदार कृषक हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को खडा कर विक्रय दस्तावेज पंजीकृत कराया है तो इससे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार के हकूक अर्जित नहीं होते हैं और वादीगण के प्रति ये विक्रय शून्य है। प्रश्नगत आराजी पैतृक भूमि रही है जिसे बेचान का दीपला को कोई अधिकार नहीं था। विक्रय के समय भूमि बैंक के रहन रखी हुई थी, अतः रहन की भूमि का बेचान नहीं हो सकता था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का आधिपत्य ही नहीं है तो हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सहायक कलक्टर, धरियावद ने निर्णय दिनांक 30-3-2002 से दावा वादी खारिज कर प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम डिक्री किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 02-08-2004 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। इसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील मूल वाद के वादी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3- उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4- योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 के दादा वगता की खातेदारी की थी और उसके बाद वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 के पिता दीपला के खातेदारी की रही है। इस प्रकार से प्रश्नगत आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है और इस प्रकार से दीपला के समस्त वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 का इसमें प्रत्येक का बराबर-बराबर 1/6, 1/6 हक हिस्सा निहित है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के द्वारा प्रश्नगत आराजी को दीपला से दिनांक 6-6-1985 में पंजीबद्ध विक्रय पत्र से क्रय करना बताया है किन्तु यह कथन सत्य नहीं है। दिपला को आराजी पैतृक होने से बेचान करने का किसी प्रकार से अधिकार नहीं था और इस विक्रय से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 के अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पडता है, यह विक्रय वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 के प्रति शून्य व अप्रभावी है। जिस समय आराजी को बेचान होना बताया है उस समय यह आराजी भूमि विकास बैंक के समक्ष रहन रखी हुई थी और रहन रखी हुई आराजी का किसी प्रकार से बेचान सम्भव नहीं है, अतः बेचान का तथ्य सही नहीं है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 का प्रारम्भ से ही निरंतर कब्जा काश्त चलता आ रहा है और प्रतिवादीगण 1 व 2 कभी भी दिनांक 15-6-1990 तक कब्जा

करने की कोशिश नहीं की है। माननीय राजस्व मण्डल ने निगरानी संख्या 163/95 में जो निर्णय दिनांक 7–12–2000 को पारित किया है उससे भी हमारे कब्जे की पुष्टि होता है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि जो विक्रय विलेख होना बताया है, वह बिना किसी अधिकार के सम्पादित किया गया है और इस प्रकार के विक्रय विलेख अपने आप में प्रभाव शून्य होता है, जिसे सिविल न्यायालय ने निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विक्रय को सिविल न्यायालय से निरस्त कराने के सम्बन्ध में जो अभिमत पारित किया है वह उचित नहीं है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त करने और दावा वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया।

5– रैस्पो0/प्रतिवादी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि दीपला के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि थी जो कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2004 से भी पुष्ट है। दीपला द्वारा दिनांक 6–6–1985 को वादग्रस्त आराजी को रुपये 6,500/– में प्रतिवादी संख्या 1 व 2/रैस्पो0 संख्या 1 व 2 को विक्रय कर कब्जा करा दिया था और अब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का आराजी पर कब्जा काश्त खातेदारी है। इस विक्रय पत्र पर दीपाला के पुत्र रामला और परथा ने भी सहमति स्वरुप हस्ताक्षर किए हैं। पक्षकारान अनु0 जन जाति के सदस्य हैं और इनं0 जन जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार के नियम लागू नहीं होते हैं और पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं होता है, इस बिन्दु पर योग्य अधिवक्ता ने 2002 आर0बी0जे0 पे 23, 2016 आर0बी0जे0 37 व अन्य उद्धरण प्रस्तुत किए। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि विक्रय पत्र के आधार पर रैस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 210 दिनांक 10–07–1985 को स्वीकृत हो कर खातेदारी अंकित हो चुकी है। परीक्षण न्यायालय द्वारा दावा खारिज कर प्रतिवाद को डिक्री किया है, अतः प्रथम व अपील दोनों ही दो होनी चाहिए थी, 2017 आर0आर0टी0 (1) पेज 1281 को उद्धरित किया। और अन्त में निवेदन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं होने से अपील खारिज की जाए।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

7– हस्तगत प्रकरण में वादी/अपीलार्थीगण ने उप जिलाधीश, वल्लभनगर के समक्ष वादपत्र इस आशय का पेश किया था कि प्रकरण में निहित विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है जो हमारे पिता दीपला के खातेदारी की रही है और हमारे दादा वगता जी के समय से चली आ रही है, जिसमें प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में दावा वादी डिक्री कर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का अनुतोष चाहा गया जब कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जबाबदावा मय प्रतिवाद में अंकित किया कि दीपला द्वारा दिनांक 6–6–1985 को वादग्रस्त आराजी को रुपये 6,500/– में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विक्रय कर कब्जा करा दिया था और अब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का आराजी पर कब्जा काश्त खातेदारी है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये।

8– प्रकरण में परीक्षण पर पाया जाता है कि यह निर्विवाद व पक्षकारान के मध्य स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत आराजी दीपला वल्द वगता मीणा के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है। प्रतिवादी वंख्या 1 व 2 जबाबदावा व प्रतिवाद में आराजी को पंजीबद्ध विक्रय पत्र से दीपला से क्रय करना कहते हैं जब कि अपीलार्थीगण विक्रय के तथ्य से इन्कार करते हैं और आराजी को पैतृक होना बताते हुये दिपला को विक्रय के अधिकार होने से इन्कार करते हैं। प्रदर्श ए–2 जमाबंदी सम्वत् 2004 के अनुसार खसरा नम्बर 378, 384 दीपला वल्ग वगता मीणा के नाम दर्ज है और प्रदर्श 1–ए विक्रय पत्र की प्रति दिनांक 6–6–1985 की है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 378, 384 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा का विक्रय अपीलार्थीगण व रैस्पो0 3 व 4 के पिता दीपला द्वारा रैस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में कराया गया है और इस पर साक्ष्य के रुप में दीपला के पुत्र रामा व परथा की अंगूठा निशानी अंकित रही है। प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत् 2044–47 के अनुसार प्रश्नगत आराजी रैस्पो0 संख्या 1 व 2 की खातेदारी में अंकित है। वादी द्वारा काउण्टर–क्लेम का जो जबाब पेश किया है उससे भी यह तथ्य स्वीकृत है कि दीपला की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू होने के बाद हुई है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2(2) में स्पष्ट प्रावधित किया गया है कि ये प्रावधान अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होंगे जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दिया जाये। अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 2 (2) के प्रावधानानुसार भारत सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है तो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की सम्पत्ति/ भूमि की विरासत उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व से प्रचलित विधि से अथवा क्षेत्र विशेष की जनजाति विशेष में प्रचलित रुढि के अनुसार प्रशासित होगी। मीणा जन जाति में उनके वैयक्तिक कानून प्रभावी होने से पिता के स्वर्गवास उपरान्त उसकी विरासत पुत्रों में न्यागत होगी, पुत्रियों में नहीं। वर्तमान प्रकरण में दीपला के दोनों पुत्रों द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 6–6–1985 पर सहमति स्वरुप अंगूठा निशानी की गई है। इस विक्रय पत्र को विधिवत रुप से पंजीबद्ध किया गया है और पंजीबद्ध होने से इसकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह किया जाना उचित नहीं है। यदि अपीलार्थीगण प्रश्नगत आराजी को पैतृक होने का कथन करते हैं और दीपला को प्रश्नगत आराजी बेचान करने का अधिकार नहीं होना कहते हैं तो इन्हें सक्षम सिविल न्यायालय से विक्रय पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही करनी चाहिए। अतः वर्तमान प्रकरण में सम्पादित किए गए विक्रय पत्र को एब–इनीशियो वौइड करार नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या–1 में विस्तार से विवेचन करते हुये वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को 1/6, 1/6 हिस्से का अधिकार नहीं होना माना है और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता होना प्रतीत नहीं होता है।

9– प्रश्नगत प्रकरण में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 6–6–1985 के द्वारा दीपला के द्वारा आराजी को रैस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में बेचान किया गया है और वर्तमान जमाबंदी में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी अंकित है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 खातेदार होने से वे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः तनकी संख्या 2 को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधिवत रुप से परीक्षण करते हुये

निस्तारित किया है। इस निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है।

10– उपरोक्त विवेचन व तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार की तात्विक या विधि सम्बन्धी भूल होना प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित होने से द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्याय दृष्टान्त आर0आर0डी0 2019 पेज 263 (डी0बी0) एवं आर0बी0जे0 (23) 2019 पेज 263 में भी समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप को उचित नहीं माना गया है। फलतः हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य